प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 20)

अज़ अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

आगवारी 71 एनपी-रामसरा कुम्हारान बनाम सरकार

उनवान मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृत करने नम्बर [illegible] सन 2022

सी.सी.एम.एस. आईडी 2022/[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
05.01.2022	पत्रावली रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/राजस्व/शिविर/2021/920 दिनांक 16.11.2021 को आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत ठाकरी में पेश हुई। विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आगवारी 71 एनपी एवं रामसरा कुम्हारान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 71 एनपी व रामसरा कुम्हारान के निवासीगण को मेन रोड अनूपगढ़ रायसिंहनगर तक पहुंच हेतु चक 74 एनपी मु.नं. 2–3–6–7 में रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। उपरोक्त रास्ता 1970 से लगातार चालू है व कभी भी किसी काश्तकार ने रास्ता बंद नही किया हैं। उक्त रकबा के काश्तकारों को कोई एतराजगी नहीं हैं व उक्त रकबा के काश्तकार रास्ता स्वीकृत किया जावे तो पूर्ण रूप से सहमत हैं। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक 920 दिनांक 16.11.2021 के अनुसार प्रार्थीयान रामसरा कुम्हारान में आने जोन हेतु मुख्य सड़क रायसिंहनगर–अनूपगढ़ के चक 74 एनपी मु.नं. 2–7 के कि.नं. 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 1–1 बीस्वा व मु.नं. 3–6 के कि.नं. 1–10–11–20–21 प्रत्येक में 1–1 बीस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। रास्ता 30–40 वर्षो से लगातार सुखाचार के तहत चल रहा हैं। मौके पर कोई विवाद व स्थगन नही हैं। चक 74 एनपी के मु.नं. 2–6 व 3–7 में 1–1 बीस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन किया। खातेदारान जिनकी भूमि में से उपरोक्त मार्ग चाहा गया हैं द्वारा स्टाम्प पत्र पर सहमति पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। चूंकि प्रकरण में काश्तकारान रास्ता हेतु सहमति से भूमि छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। लिहाजा उक्त विवेचन, रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर, एवं काश्तकारान द्वारा मार्ग स्वीकृत करने पर सहमति दिए जाने के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 74 एनपी मु.नं. 2–7 के कि.नं. 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 0.0125है. व मु.नं. 3–6 के कि.नं. 1–10–11–20–21 प्रत्येक में [illegible] रास्ता 0.0125है. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। [illegible] रकबे को का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया [illegible] खातेदार के खाते में [illegible] तहसीलदार रायसिंहनगर को [illegible] 05.01.20[illegible] को लिखाया जाकर मजमा–ए–आम में सुनाया गया। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प – ठाकरी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:44:09 IST
Reason: SelfAttested